

**संख्या-11/2026/नौ-7-2025-Comp.No: 1977594**

प्रेषक,

**संजय कुमार तिवारी**

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2026

**विषय-** "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" (सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत नगर निगम वाराणसी में "महमूरगंज पेट्रोल पम्प से संत रधुवर नगर मार्ग का उन्नयन/विकास कार्य में विकास कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के पत्र संख्या संख्या-465/यूरिडा-03(III)/डी.पी.आर./2025-26, दिनांक 30.09.2025 द्वारा नगर निगम वाराणसी में महमूरगंज पेट्रोल पम्प से संत रधुवर नगर मार्ग का उन्नयन/विकास कार्य हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष रूपये 870.07 लाख का परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.09.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त नगर निगम वाराणसी में विषयगत सड़क के विकास कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार, कुल धनराशि ₹8,19,51,000 (रूपये आठ करोड़ उन्नीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष राज्यांश के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि

₹3,68,78,000 (रूपया तीन करोड अडसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

कार्य का नाम	परियोजना लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	राज्यांश (90%) की धनराशि	निकायांश (10%) की धनराशि	प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त की जाने वाली राज्यांश की धनराशि	प्रथम किशत के रूप में उपयोग/ वहन की जाने वाली निकायांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
महमूरगंज पेट्रोल पम्प से संत रघुवर नगर मार्ग	819.51	737.56	81.95	368.78	40.98

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (यूरिडा) द्वारा योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार अनुमन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) सी०एम०ग्रिड के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यों के पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः यूरिडा के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाये, जिसमें सम्बन्धित नगर निगम के मुख्य अभियन्ता भी सदस्य के रूप में नामित हों। इस समिति द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर संस्तुत कार्यों एवं उनकी विशिष्टियाँ इत्यादि का संदर्भित प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों का परीक्षण किया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्य औचित्यपूर्ण है तथा भविष्य में प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़गी।

(6) प्रायोजना पर वित्त विभाग के शासनादेश सं०बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-08-2014 के प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव में 2.50 प्रतिशत की दर से मेन्टीनेन्स चार्ज अनुमन्य किया गया है। कार्यदायी संस्था/नगर निगम द्वारा समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 5 वर्षीय अनुरक्षण हेतु भुगतान प्रक्रिया का मानकीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-3689 सी-ओ०पी०एम० आर०सी०/मूल 23-24, दिनांक 17.02.2024 में दी गयी मर्दों/व्यवस्थानुसार मेन्टीनेन्स चार्ज इत्यादि पर जी०एस०टी का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील /ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(12) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जाय, जिसमें कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक स्तर के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो। इस समिति की देखरेख में कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु विस्तृत आगणन के आधार पर विद्युत विभाग हेतु रू० 339.35 लाख की धनराशि सम्मिलित किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तदुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।

(14) नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगरीय निकाय का होगा।

(16) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(17) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) सी.एम. ग्रिड्स के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम वाराणसी में उपर्युक्त परियोजना के संबंध में पी0एफ0ए0डी0 की परीक्षण आख्या इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि उक्त परीक्षण आख्या में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ₹3,68,78,000 (रूपया तीन करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217058001100 मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।**

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-201-X-2025-26 दिनांक 10-02-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक: यथोक्त।**

Digitized by  
SANJAY KUMAR TIWARI  
Date: 13-02-2026

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

**संख्या-11(1)/2026/नौ-7-2025-Comp.No: 1977594 एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30 प्र० प्रयागराज।
2. सी० ई० ओ० यूरिडा, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, 30 प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षक, 30 प्र० प्रयागराज।
6. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,2।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।